अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-1619/चैंतीस/लो0शि0-5/2017

प्रेषक,

नितीश कुमार,

विशेष सचिव,मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ०प्र० ।

2- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० ।

लोक शिकायत अनुभाग -5 लखनऊ, दिनांक - 06 सितम्बर, 2017

विषय- IGRS प्रणाली पर मा.सांसद /मा. विधायक गण एवं आमजन द्वारा अपनी शिकायतों को सम्बन्धित विभाग के जनपद / तहसील / ब्लॉक / थाना स्तरीय अधिकारियों के समक्ष सीधे ऑनलाइन सन्दर्भ के रूप में दर्ज कराने विषयक ।

महोदय,

जनसुनवाई-IGRS प्रणाली पर सम्बन्धित विभागों के जनपदीय व अधीनस्थ अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत सीधे प्रेषित करने का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण आमजन द्वारा समस्त शिकायतें वर्तमान में जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जा रही हैं, जिसके कारण जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर शिकायतें अत्यधिक संख्या में दर्ज हो रही हैं ।

2- विभिन्न स्तरों से प्राप्त फीडबैक /सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए, सम्यक विचारोपरान्त IGRS प्रणाली में निम्नलिखित तकनीकी बदलाव कर दिए गए हैंरू-

(क) जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य जनपद/ तहसील/ ब्लॉक/ थाना स्तरीय विभागीय अधिकारियों के समक्ष भी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराए जाने का विकल्प IGRS प्रणाली पर आम जन को उपलब्ध करा दिया गया है ।

(ख) मा.सांसद/मा.विधायक गण द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाने वाली शिकायतों / सन्दर्भों को सीधे जनपद में नियुक्त विभिन्न विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किए जाने का विकल्प उनके प्ळत्ै लाग-इन आई.डी. पर उपलब्ध करा दिया गया है ।

क्रमशः पृष्ठ-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने मण्डल/जनपद में कार्यरत जनपद/ तहसील/ ब्लॉक/ थाना स्तरीय विभागीय अधिकारियों को जनसुनवाई-IGRS प्रणाली पर दर्ज सन्दर्भों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित करते हुए उक्त नवीन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने मण्डल / जनपद में कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नितीश कुमार)
विशेष सचिव,मुख्यमंत्री ।

संख्या- 1619(1)/चैंतीस/लो0शि0-5/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

(हरिमोहन झा)
उप सचिव,मुख्यमंत्री ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।